



क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति

वैठक: 6 जून 2007

ग्रैंड कॉर्ड जनाब्दी समारोह
6 दिसंबर 2007





पूर्व मध्य रेल

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति

के

सदस्यों का

हार्दिक अभिनंदन करता है।

पटना

06 जून 2007

पूर्व मध्य रेल

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य

क्रम सं०	नाम एवं पता	संवर्ग	संस्थान
1.	श्री निखिल कुमार माननीय सांसद वर्तमान पता- ए बी-9, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011 दूरभाष- 011-23782277 23795279 मो०- 9868180536 स्थायी पता- सोपान, बोरींग रोड, पटना, बिहार दूरभाष- 0612-2531171 2532177	माननीय सांसद	लोक सभा सांसद
2.	श्री निखिल कुमार चौधरी माननीय सांसद वर्तमान पता- 44, नौर्य एवेन्यू नई दिल्ली-110011 दूरभाष - 011-23094097 23094958 मो०- 9868180683 स्थायी पता- बनीया टोला- निकट पानी टंकी चौक, पो. एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार-854105, बिहार दूरभाष- 06452-243098 244594	माननीय सांसद	
3.	श्री राम कृपाल यादव माननीय सांसद वर्तमान पता- 8, महादेव रोड, नई दिल्ली-110011 दूरभाष - 011-23359598 23349472 मो०- 9868180351 स्थायी पता- गोरीयाटोली, स्टेशन रोड, पटना, बिहार दूरभाष - 0612-224566 225303	माननीय सांसद	

4.	<p>श्री आलोक कुमार मेहता माननीय सांसद वर्तमान पता-16-18, दक्षिणी एवेन्यू नई दिल्ली-110011 दूरभाष - 011-23349471 मो0 - 9868180166 स्थायी पता- ग्राम एवं पो., मिरजा नगर, वाया महुआ, जिला-वैशाली, बिहार दूरभाष - मो0-</p>	माननीय सांसद	
5.	<p>श्री रामचंद्र पासवान माननीय सांसद 12-डी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली- 110001 दूरभाष - 011- 23351030 23316166 मो0- 9868180799 स्थायी पता- विदयाधर, खगड़ीया, जिला- खगड़ीया-8512004 बिहार</p>	माननीय सांसद	
6.	<p>श्री चंद्रशेखर दुबे माननीय सांसद वर्तमान पता- 17 केनिन लेन नई दिल्ली-01 दूरभाष - 011-23349490 मो0- स्थायी पता- ग्राम- चोखा, पो. ,बेलहत, जिला- गढ़वा, झारखंड</p>	माननीय सांसद	
7.	<p>श्री अफजल अंसारी माननीय सांसद वर्तमान पता- 155-157, नौर्थ एवेन्यू नई दिल्ली-01 दूरभाष - 011-23092359 मो0- स्थायी पता- ग्राम- शेखटोला, जमालपुर, युसूफपुर, मोहम्दाबाद, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश</p>	माननीय सांसद	

लोक सभा सांसद

8.	<p>श्री आर. के. घवन माननीय सांसद 15, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली दूरभाष - 011-23793464 23794474 मो0- 9868181139</p>	माननीय सांसद	
9.	<p>प्रो. रामदेव भण्डारी माननीय सांसद वर्तमान पता- 23-24, साउथ एवेन्यू नई दिल्ली- 110011 दूरभाष - 011-23793347 23974957 मो0- 20043027 9868181078 स्थायी पता- ग्रा.0पो0 झंझारपुर, जिला-मधुबनी, बिहार- 847404 दूरभाष - 06273-222232</p>	माननीय सांसद	राज्य सभा
10.	<p>श्री एस.एस. अहलुवालिया, माननीय सांसद वर्तमान पता- 10 गुरुद्वारा रकाबगंज, नई दिल्ली-01 दूरभाष - 011-23722826 23717260 स्थायी पता- 417-बी अशोक नगर रोड नं0 5/बी, रांची झारखंड-834002</p>	माननीय सांसद	
11.	<p>श्री सुशील कुमार गुप्ता 4/12, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली - 110026 दूरभाष - 011-42460997 मो0 - 9811066950</p>		मो. ए. ए.फातमी, मानव संसाधन राज्य मंत्री
12.	<p>श्री सुशील तिवारी समीप, जी.डी.पब्लिक स्कूल, चन्दवा टोला, चन्दवा, आरा भोजपुर मो0 - 9931027289</p>	केन्द्रीय मंत्री द्वारा मनोनीत	श्रीमती कांति सिंह, भारी उद्योग राज्य मंत्री
13	<p>श्री महेश कुमार सेक्टर- III ए -127, रचना वैशाली, गाजियाबाद दूरभाष - 0120-2776341 मो0 - 9899366642</p>		श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता कम्पनी मामलों के मंत्री

14.	श्री राम कुमार यादव ग्रा+पो.-पड़वा,भाया-जयनगर जिला- मधुबनी दूरभाष - 06246-222395 मो0 - 9430086288	केन्द्रीय मंत्री द्वारा मनोनीत	डॉ. शकील अहमद संचार एवं सूचना तकनीकी मंत्री
15.	श्री रमाशंकर पाण्डेय ग्राम + पो. - उदवंतनगर जिला - भोजपुर दूरभाष : 06182-200150		श्रीमती मीरा कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री
16.	डॉ. अनूप कुमार केडिया प्रभुकृपा इन्टरप्राइजेज बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, स्वराजपुरी पथ, गया दूरभाष : 0631-2432891 मो. : 9430056396	सेन्ट्रल बिहार, चेम्बर ऑफ कामर्स, गया	चेम्बर ऑफ कामर्स
17.	श्री गोपाल प्रसाद लोहिया लोहिया कोल्ड स्टोरेज (प्रा.) लिमिटेड शाहपुर उन्डी, पो. पटोरी समस्तीपुर - 848504 दूरभाष : 06278-234238 मो. : 9430048713	समस्तीपुर जिला वाणिज्य एवं उद्योग परिषद, समस्तीपुर	वाणिज्य एवं उद्योग
18.	श्री पभुनारायण खण्डेलवाल महामंत्री, धनबाद जिला रेलवे पैसेन्जर्स कौंसिल, धनबाद दूरभाष : 0326- 2330494	धनबाद जिला पैसेन्जर कौंसिल, धनबाद	पंजिकृत यात्री संघ
19.	श्री मोतीलाल छापड़िया राम प्रताप सुरेश कुमार सुतापट्टी, मुजफ्फरपुर दूरभाष : 0621-2245247 मो. : 9431238797	नार्थ बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, मुजफ्फरपुर	चेम्बर ऑफ कामर्स
20.	श्री पशुपति नाथ पाण्डेय न्यू लालजी टोला, पटना दूरभाष : 0612-2320906 मो. :	बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, पटना	चेम्बर ऑफ कामर्स
21.	श्री शल्यानन्द प्रसाद यादव पुत्र श्री राजेश्वर प्रसाद यादव ग्रा.-तेनुआ, पो0-मुशहरी, जिला-छपरा, बिहार मो.9430079084	विशेष रुचि	माननीय रेल मंत्री द्वारा मनोनीत

22.	श्री दिनेश प्रसाद राय ग्रा+पो0- रामपुर थाना- गडखा जिला- सारण, बिहार मो0 - 9431473300		
23.	श्री राजा राम सिंह ग्राम -सैदपुर गणेश पो0-पानापुर घर्मपुर जिला- वैशाली दूरभाष - 06224-248804 मो0 - 9934293466		
24.	श्री असफ़ी सिंह ग्रा.+पो0-सहदुल्लापुर, थाना-गंगाब्रिज, हाजीपुर जिला-वैशाली, दूरभाष - 06224-265288 मो0 - 9431030260		
25.	श्री आर. के सरावगी नीलम रोड, मुर्गेर बिहार दूरभाष -06344-220440 मो0 - 9431236434	विशेष रुचि	माननीय रेल मंत्री द्वारा मनोनीत
26.	डॉ. कुमार राहुल सिंह "अतीत" एम.आई.जी.-208 कंकड़बाग कॉलोनी, पटना - 20 दूरभाष - 0612-2352303 मो0 - 9431492525		
27.	श्री राम शिवालक राय द्वारा राम किंकर राय शिवपुरी, मुजफ्फरपुर बिहार दूरभाष - 0621-2402496 मो0 - 9934449477		
28.	श्री राम प्रवेश प्रसाद महतो ग्रा+पो.+थाना - अमनौर जिला - सारण मो0 - 9835295513		

29.	<p>श्री आमोद कुमार 204, कौटिल्य नगर, सांसद विधायक कॉलोनी, पोस्ट- बिहार वेटेनरी कॉलेज, राजा बाजार, पटना दूरभाष - 0612-2222747 मो0 - 9334723356</p>		
30.	<p>श्री मुजफ्फर हुसैन राही मोहल्ला - गढ़ेरिया खंड, जहानाबाद दूरभाष : मो0 - 9431084960</p>		
31.	<p>श्रीमती हीरामनी देवी(तांती) द्वारा बल्लू कुमार आर. जेड. - 19 मोहन ब्लॉक, गली संख्या 03, पश्चिमी सागरपुर, नई दिल्ली मो0 - 9431004328</p>		
32.	<p>श्री अमृत चौधरी नया टोला, पुलिस लाइन, हवाई अड्डा के पास, छपरा दूरभाष - 06152-320617</p>	विशेष रुचि	माननीय रेल मंत्री द्वारा मनोनीत
33.	<p>श्री अखिलेश प्रसाद यादव ग्रा+पो. - कुंजवां, भाया - बिहटा जिला - पटना, बिहार मो0 - 9431487202</p>		
34.	<p>मो. जब्बार अंसारी, ग्रा + पो. - सुरसंड थाना - सुरसंड बनौलीपल जिला - सीतामढ़ी दूरभाष - 06228 - 289701</p>		
35.	<p>श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल ग्राम-सुकदेव बिगहा, पो0-नोनही, थाना - काको, जिला-जहानाबाद मो0 - 9934270233</p>		
36.	<p>श्री विजय नारायण सिंह पुरानी मस्जिद रोड, पालीगंज जिला पटना दूरभाष - 06135-277524 (मो0) - 9431881230</p>		

37.	मो० नौशाद अली ग्राम-परसा, पो०-कुम्मा थाना - सुरसंड जिला-सीतामढ़ी दूरभाष - 06226-278357 मो० - 9431092442		
38.	श्री निरंजन राय, छोटी कल्याणी साहु रोड, जिला - मुजफ्फरपुर दूरभाष - 0621-3201190 मो० - 9931208305		
39	श्री ब्रजेश कुमार जालान ग्राम - झझीहट बाजार पो. - जनकपुर रोड, थाना-पुपरी जिला - सीतामढ़ी दूरभाष - 06228-224077 मो० - 9431241077		
40.	श्री मोहिबुल हक जानपुल चौक, बाजार समिति के सामने, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण मो० - 9431429003	विशेष रुचि	माननीय रेल मंत्री द्वारा मनोनीत
41.	श्री बजरंगी नारायण ठाकुर चांदमारी चौक, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, दूरभाष - 06252 - 232700 मो० - 9431288700		
42.	श्री रामजुलुम यादव ग्रा - इनरवा, पो. - ठहर, भाया - खजौली, जिला-मधुबनी दूरभाष - 06276 - 229991 मो० - 9431658738		
43.	श्री रमाकांत कुशवाहा कोइरी टोला, बेतिया नगर बेतिया, जिला - पश्चिमी चम्पारण मो० - 9431427797		
44.	श्री सूर्य देव प्रसाद सिंह लाला विगहा, भाया-नदौल पो.-रेवा, मसौढ़ी, पटना मो० - 9835810486		

45.	श्री अरुण कुमार यादव स्पोर्ट्स क्लब रोड, छत्तीनी मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण दूरभाष - 06252-221668 मो0 - 9431269768		
46.	श्री जावेद अहमद गुलिस्तान मोहल्ला पो+थाना-फुलवारी शरीफ जिला- पटना दूरभाष - 0612-6589919 मो0 - 9334457277		
47.	श्री मुक्तेश कुमार द्वारा डॉ दिनेश दत्त शर्मा पूर्वी मिथिला कालोनी, बाटागंज, दीघा, पटना दूरभाष - 0612-2561515 मो0 - 9430052816		
48.	श्री उज्जवल प्रसाद यादव दीघा घाट, हरिपुर कालोनी पटना दूरभाष - 0612-2560235 मो0 - 9334204847	विशेष रुचि	माननीय रेल मंत्री द्वारा मनोनीत
49.	मो. असरारुल हक ग्रा. भलुका, पो. दरभंगा जिला- दरभंगा मो0 - 9431467617		
50.	श्री शाहिद जमाल टाउन थाना चौक, हाजीपुर जिला - वैशाली दूरभाष - 06224-273431 मो0 - 9431462157		
51.	श्री सत्येन्द्र पासवान चितकोहरा, पो. अनिसाबाद जिला- पटना मो0 - 9334989034		
52.	श्री जयजाति प्रसाद यादव ग्राम - धपहर, पो.-कुदरकट थाना- छौड़ादानो, जिला - पूर्वी चम्पारण दूरभाष - 06252-262064 मो0 - 9431637764		

53.	श्री विजय सिंह स्थायी पता - नावाडीह सिलफरी, जिला - जमुई स्थानीय पता - बी 151, बुद्धा कालोनी, पटना दूरभाष : 0621-2520814 मो. - 9430605100		
54.	श्री अजय कुमार सिन्हा ग्राम एवं पो. - नवीनगर जिला - औरंगाबाद स्थानीय पता मां भगवती निवास, शिवपुरी पटना दूरभाष - 0612-2281142 मो. - 9334242833		
55.	श्री राम बाबू श्रीवास्तव ग्राम एवं पो. - सिकटा थाना - सिकटा जिला - पश्चिमी चम्पारण दूरभाष - 06253- 28551 मो.- 9431410273		
56.	श्री साधु शरण सिंह ग्राम टीमलपुर पो. - सैदाबाद जिला - जहानाबाद मो.- 9939912185	विशेष रुचि	माननीय रेल मंत्री द्वारा मनोनीत
57.	मो. हसमत अली अंसारी ग्राम - मोगलपुरा पो. - मेहसी जिला - पूर्वी चम्पारण दूरभाष - 06257-254786 मो. - 9905457786		
58.	श्री जय मंगल प्रसाद यादव ग्राम एवं पो. - बोचहा भाया - विद्यापति नगर जिला - समस्तीपुर दूरभाष : 06278-243135 मो. - 9431089736		
59.	श्री रामनाथ गुप्ता 307, एम.आई.जी. लोहिया नगर, कंकड़बाग पटना- 800020 दूरभाष : 0612-2351384		

60.	श्री जयप्रकाश नारायण भारती ग्राम+पो.+थाना एवं प्रखंड-खुटौना जिला - मधुबनी (बिहार) दूरभाष : 953277-286282 -286419 मो. : 9835225095		
61.	श्री राम प्रवेश यादव ग्राम - धुन्धुआ, पो.- खदहॉ, थाना - नवीनगर जिला - औरंगाबाद (बिहार)		
62.	श्री राम प्रसाद यादव नजदीक हवाई हड्डा बेटिया जिला - पश्चिमी चम्पारण (बिहार) दूरभाष : 238949 मो. : 9430669519		
63.	श्री शब्बीर अहमद ग्राम - माधोपुर मधुमालत पो.- तुरकोलिया, जिला - पूर्वी चम्पारण (बिहार) मो. - 9431470615		
64.	श्री राजकिशोर ठकुर ग्राम - रघुनाथपुर, पो.-मोतिहारी जिला - पूर्वी चम्पारण (बिहार) दूरभाष : 06252-233282 मो. : 9431466654	विशेष रुचि	माननीय रेल मंत्री द्वारा मनोनीत
65.	श्री विनोद आर्य चनपटिया, पश्चिमी चम्पारण बिहार दूरभाष : 06254 - 266279 मो. : 9431295201		
66.	श्री गौतम कुमार पिता श्री रामचन्द्र मंडल ग्राम + पो. - सिमरा भाया - अयोध्यागंज बाजार जिला - पूर्णियां मो. : 9430889062		
67.	श्री मुमताज अहमद मोहल्ला - बलुआ टाल पो. - मोतिहारी जिला - पूर्वी चम्पारण दूरभाष : 06252-240606 मो. : 9431467074		

68.	<p>श्री शिवनाथ यादव मोहल्ला - लालजी टोला थाना - गाँधी मैदान, जिला - पटना दूरभाष : 0612-6992465 मो. : 9334045718</p>		
69.	<p>श्री अशोक राम अधिवक्ता ग्राम - कल्याणपुर पो. + थाना - जमुई जिला - जमुई मो. : 9430841756</p>		
70.	<p>श्री शैलेन्द्र कुमार पटेल नगर, वार्ड न. - 11, नया बाजार, लखीसराय, जिला - लखीसराय, मो. : 9431235048</p>		
71.	<p>श्री बसन्त भगत ग्राम - नजारी पो. - लक्ष्मीपुर जिला - जमुई दूरभाष : 06348-268886 मो. : 9931220916</p>	विशेष रुचि	माननीय रेल मंत्री द्वारा मनोनीत
72.	<p>श्री देव नारायण गुरमैता ग्राम - नहरी, थाना + पो. - लौकहा, जिला - मधुबनी मो. : 9934043536</p>		
73.	<p>श्री अकिलुर्रहमान ग्राम.+पो.+थाना+प्रखण्ड - फेनहारा जिला - पूर्वी चम्पारण दूरभाष : 06259-277236 मो. : 9431435399</p>		
74.	<p>प्रो. डॉ. शब्बीर हसन मोहल्ला - पूरब सराय मौलाना आजाद कॉलोनी, कमला रोड, जिला - मुंगेर दूरभाष : 06344-226001 मो. : 9931631431</p>		

75.	<p>श्री लक्ष्मेश्वर राय ग्राम + पो. - ठाढ़ी भाया - लदनिया जिला - मधुबनी दूरभाष : 06276-226328 मो. : 9430446648</p>		
76.	<p>श्री आफताब आलम अध्यक्ष नगर परिषद, सैयदाना, चौराहा गली पो. - फुलवारी शरीफ पटना दूरभाष : 0612-2555418 मो. : 9835066146</p>		
77.	<p>श्री दीनानाथ यादव ग्राम - डीहपाली पो. + थाना - पालीगंज जिला - पटना मो. : 9334197048</p>		
78.	<p>श्री सुरेन्द्र चन्द्रा उर्फ सतीश पासवान ग्राम + पो. - बेतिया जिला - पश्चिमी चम्पारण दूरभाष : मो. : 9431032555</p>	विशेष रूचि	माननीय रेल मंत्री द्वारा मनोनीत
79.	<p>श्री सुनील ठाकुर बिहारी रोड, हिलसा पो. - हिलसा जिला - नालंदा दूरभाष : 06111-252693 मो. : 9431487781</p>		
80.	<p>डॉ. विजय कुमार यादव ग्राम - रामपुर पो. - बोधगया जिला - गया मो. : 9431477398</p>		
81.	<p>श्री अब्बास अहमद ग्राम + पो. - महुआबा भाया - नरकटियागंज जिला - पश्चिमी चम्पारण दूरभाष : 06253-244221 मो. : 9430024231</p>		

82.	<p>श्री सुरेश निषाद द्वारा श्याम सुंदर सिंह निषाद ग्राम + पो. - मेकरा थाना - मोकामा जिला - पटना दूरभाष : 0612-2281042 मो. : 9934261728</p>		
83.	<p>श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह सूर्या निवास, लालकोठी कम्पाउण्ड निकट सिविल लाइन थाना, गया मो. : 9334104213</p>		
84.	<p>श्री उमा शंकर शर्मा द्वारा दीनानाथ शर्मा मोहल्ला - जगत नारायण रोड पो. + थाना - कदमकुआ पटना दूरभाष : 0612-2229803 मो. : 9431063317</p>		
85	<p>श्री नवल यादव ग्राम - भरथुहियां पो. - बाराचकिया पूर्वी चम्पारण, बिहार दूरभाष : मो. : 9939427935</p>	विशेष रूची	माननीय रेल मंत्री द्वारा मनोनीत
86	<p>श्री प्रभु नारायण मेहता पिता श्री विद्यानंद मेहता, मेहता एवं शर्मा लॉज हटिया गाछी, पूरब बाजार वार्ड संख्या - 32, सहरसा जिला - सहरसा दूरभाष : 06478-227999 मो. : 9430975824</p>		
87	<p>श्री संजय ठाकुर रेणु स्दन, चौदमारी मोतिहारी-845401 दूरभाष : 06252-231580 मो. : 9431269870</p>		

88	श्री राम स्वरूप यादव ग्राम - गांधीपुर, पोस्ट - बरियारपुर जिला - मुंगेर बिहार दूरभाष : 06344-265719 मो. : 9434491932		
89	श्री कौलेश्वर यादव ग्राम - लालसे बिगहा पोस्ट - भरथुआ थाना - जहानाबाद जिला - जहानाबाद बिहार दूरभाष : -223486 मो. : 9431416647	विशेष रुची	माननीय रेल मंत्री द्वारा मनोनीत
90	श्री देवमुनी सिंह यादव 22, एम.एल.ए. फ्लैट बीरचंद पटेल पथ, पटना - 800 001 बिहार दूरभाष : 0612-2211830 मो. : 9939024788		

पूर्व मध्य रेल के विभागाध्यक्ष

श्री गिरीश भटनागर - महाप्रबंधक सह अध्यक्ष / जेड.आर.यू.सी.सी.

श्री ए.के. चन्द्रा - उप महाप्रबंधक (सा.) सह सचिव / जेड.आर.यू.सी.सी.

मुख्यालय

क्रम सं०	नाम	पद
1.	श्री वी.के.मांगलिक	अपर महाप्रबंधक
2.	श्री आर.एस.पाण्डेय	मुख्य परिचालन प्रबंधक
3.	श्री राजीव भार्गव	मु.प्र.अधिकारी/निर्माण/उत्तर
4.	श्री मधुरेश कुमार	मु.प्र.अधिकारी/निर्माण/दक्षिण
5.	श्री एस. सी. झा	प्रमुख मुख्य अभियन्ता
6.	श्री के.के.श्रीवास्तव	मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
7.	श्री कौशल किशोर	मुख्य यात्रिक अभियन्ता
8.	श्री एम.एस.खान	वित्तसलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
9.	श्री एन.के.सिंहल	मुख्य विद्युत अभियन्ता
10.	श्री कामेश्वर चौधरी	भंडार नियंत्रक
11.	श्री ए.के.मिश्रा	मुख्य सिग्नल एवं दूर संचार अभियन्ता
12.	श्री बी.पी.गुप्ता	वरीय उप महाप्रबंधक
13.	श्री अरविन्द कुमार	मुख्य कार्मिक अधिकारी
14.	श्री नीरज सिन्हा	मुख्य सुरक्षा आयुक्त
15.	श्री आर.पी.सिंह	मुख्य चिकित्सा निदेशक
16.	श्री जगतपाल	मुख्य संरक्षा अधिकारी

मंडल

17.	श्री प्रमोद कुमार	मंडल रेल प्रबंधक/सोनपुर
18.	श्री वी.श्रीहरि	मंडल रेल प्रबंधक/समस्तीपुर
19.	श्री पंकज जैन	मंडल रेल प्रबंधक/दानापुर
20.	श्री अजय शुक्ला	मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद
21.	श्री एच.के.काला	मंडल रेल प्रबंधक/मुगलसराय

पूर्व मध्य रेल : एक परिचय

जिला - वैशाली, हाजीपुर - 844101
(बिहार)

भारतीय रेल के नवसृजित क्षेत्रीय रेलों में से एक पूर्व मध्य रेल की स्थापना 01 अक्टूबर, 2002 को हुई। इसके अंतर्गत 05 मंडल आते हैं यथा- सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय एवं धनबाद। यह मुख्यतया बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के 2980 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है।

वर्ष 2005-06 में परिसम्पत्ति, अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन	
विवरण	योजना परिव्यय (आँकड़े करोड़ रुपये में)
नई लाईन (निर्माण)	429.00
खराब लाईनों का पुनर्निर्माण	5.00
आमान परिवर्तन	139.98
दोहरीकरण	162.51
रेल पथ सुविधा- यार्ड पुनर्निर्माण एवं अन्य	42.10
कंप्यूटरीकरण	6.34
चल स्टॉक	8.98
संरक्षा	213.97
रेल पथ नवीकरण	241.06
पुल कार्य	93.20
सिगनलिंग एवं दूरसंचार कार्य	111.50
अन्य विद्युत कार्य	13.10
मशीन एवं संयंत्र	9.62
उत्पादन इकाई सहित कारखाना	87.87
यात्री सुविधा	38.09
कुल	1602.32

वर्ष 2006-07 के लिए योजनाएँ

रेल ने वर्ष 2006-07 में पूर्व मध्य रेल को कैपिटल निवेश के लिए रु. 1602.32 करोड़ आवंटित किया है। प्रमुख निवेश शीर्षों में रु. 381 करोड़ की लागत से नई रेल लाईनों का निर्माण, आमान परिवर्तन एवं दोहरीकरण कार्य शामिल है जो कुल योजना निवेश का लगभग 35.96% है। रेल पथ नवीकरण को भी उच्च प्राथमिकता देते हुए इस शीर्ष में रु. 241.06 करोड़ों का प्रावधान किया गया है। पुल संबंधी कार्य तथा सिगनल एवं दूरसंचार को भी उच्च प्राथमिकता दी गयी है तथा क्रमशः रु. 93.20 करोड़ एवं 111.50 करोड़ का आवंटन किया गया है।

रूट किलोमीटर एवं विद्युतीकरण

गेज	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
बी.जी. एवं एम.जी.	3438.724	7387.64
विद्युतीकृत	1406.705	-----

सामग्री वार माल-भाड़ा लक्ष्य

सामग्री	2007-08 (आँकड़े मिट्रिक टन में)
कोयला	64.00
पी.ओ.एल.	01.74
अन्य	05.26
कुल	71.00

मंडल

दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर

कारखाना

- * समस्तीपुर कारखाना/समस्तीपुर
- * इंजीनियरी एवं पुल कारखाना/मुगलसराय
- * फलश बट वेल्डिंग प्लांट/मुगलसराय
- * ट्रैक मशीन शॉप/मुगलसराय

मंडल

दानापुर मंडल
दानापुर, बिहार

भारत सरकार द्वारा ईस्ट इंडियन रेलवे के अधिग्रहण के पश्चात् 1925 ई. में दानापुर मंडल अस्तित्व में आया। झांझा और मुगलसराय के बीच मेन लाईन का निर्माण ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा 1862 ई. में कराया गया था। इसके पश्चात् किऊल-गया और पटना-गया लाईन इसमें शामिल किए गए। 1978 में दानापुर मंडल का विभाजन दानापुर और मुगलसराय मंडल के रूप में किया गया।

सेवित क्षेत्र

दानापुर मंडल द्वारा बिहार के 11 जिले और उत्तर प्रदेश के 03 जिले सेवित हैं। इसका विस्तार मुगलसराय से (मुगलसराय स्टेशन छोड़कर) झांझा, पटना से गया (गया स्टेशन छोड़कर), फतुहा से इस्लामपुर, बख्तियारपुर से राजगीर, हाथीदा से बरौनी (बरौनी स्टेशन छोड़कर), किऊल से मानपुर (मानपुर स्टेशन छोड़कर) और दिलदारनगर से ताड़ीघाट तक है।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

विद्युतीकृत				
गेज	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
बी.जी.	734.41	1477.958	486.7	1192.328

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	07
ब्लॉक स्टेशन	:	81
हॉल्ट स्टेशन	:	112
फ्लैग स्टेशन	:	15
पी.आर.एस.	:	41
मंडल से आरंभ होने वाले मेल/एक्सप्रेस	:	43

सेवित उद्योग

भारत वैगन (मोकामा), बी.टी.पी.एस. (बरौनी) और विभिन्न स्थलों के एफ.सी.आई. के गोदाम इस मंडल द्वारा सेवित हैं।

गुड्स शेड

पटना साहिब, फतुहा, मोकामा, जमुई, झांझा, लखीसराय, जहानाबाद, आरा, वारसलीगंज, बिहार शरीफ, बक्सर, दानापुर और शेखपुरा।

धनबाद मंडल

सेवित क्षेत्र :

झारखंड में धनबाद, हजारीबाग, राँची, बोकारो, कोडरमा, पलामू, लातेहार, गढ़वा और गिरिडीह, बिहार में नवादा और गया, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मध्य प्रदेश में सिधी जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण :

गैर विद्युतीकृत			विद्युतीकृत	
गेज	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
ब्राड गेज	272.84	912.73	594.00	1472.00

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन : 09

ब्लॉक स्टेशन : 104

हॉल्ट स्टेशन : 30

पी.आर.एस. : 20

मंडल से आरंभ होने वाले मेल/एक्सप्रेस : 13 जोड़ी

सेवित उद्योग :

बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल. एवं एन.सी.एल. के कोल फिल्ड, टिस्को का वेस्ट बोकारो कोल वाशरी, टिस्को का चासनाला कोलियरी, सी.टी.पी.एस., बी.टी.पी.एस., पी.टी.पी.एस., ए.टी.पी.एस., ओ.टी.पी.एस. एस.एस.टी.पी.पी., बी.एस.टी.पी.पी. एवं आर.एच.एस.टी.पी.पी. के पावर हाउस, सिन्दरी स्थित ए.सी.सी. सीमेंट फैक्टरी, रेणुकूट स्थित हिंडालकों, रेणुकूट स्थित कानोरिया केमिकल्स, गढ़वा रोड स्थित बिहार कॉस्टिक एवं केमिकल।

गुड्स शेड

धनबाद, हजारीबाग रोड, कोडरमा, बरकाकाना, डाल्टेनगंज, टोरी, रिचुगुटा, सिगरौली एवं गढ़वा रोड ।

मुगलसराय मंडल

मुगलसराय - 232101

उत्तर प्रदेश

मानपुर-मुगलसराय सेक्शन इस महाद्वीप का व्यस्ततम माल परिवहन करनेवाला ग्रैंड कॉर्ड के नाम से विख्यात रेल मार्ग का एक भाग है। मुगलसराय-हावड़ा मार्ग पर सोन नदी पर 3 किलोमीटर लंबा बृहत्तम रेल सेतु है। 1876 ई. में स्थापित रेलवे इंटर कॉलेज, मुगलसराय एक प्राचीनतम शैक्षणिक संस्था है।

सेवित क्षेत्र

बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया, झारखंड में पलामू और उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण :

गैर विद्युतीकृत			विद्युतीकृत	
गेज	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
ब्राड गेज	1048	9	232	308

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	: 04
ब्लॉक स्टेशन	: 41
हॉल्ट स्टेशन	: 10
पी.आर.एस.	: 11
मंडल से आरंभ होने वाले मेल/एक्सप्रेस	: 03 जोड़ी

सेवित उद्योग :

यह मंडल डेहरी-ऑन-सोन स्थित कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

लोको शेड

धारण क्षमता

विद्युत लोको शेड, मुगलसराय	145
डीजल लोको शेड, मुगलसराय	47

गुड्स शेड

गया, मानपुर, सोननगर, अनुग्रहनारायण रोड, सोननगर, डेहरी-ऑन-सोन, सासाराम, भभुआ रोड, मुगलसराय, रफीगंज, नवीनगर रोड महत्वपूर्ण माल प्रचालन टर्मिनल हैं।

समस्तीपुर मंडल :

समस्तीपुर- 848101

बिहार

सेवित क्षेत्र

समस्तीपुर दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दौरम मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, खगड़िया और अररिया।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण :

गेज	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
ब्राड गेज	375.21	378.21
मीटर गेज	671.18	671.18
कुल	1046.39	1049.39

यात्री स्टेशन/हॉल्ट की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	: 09
ब्लॉक स्टेशन	: 106
हॉल्ट स्टेशन	: 57
पी.आर.एस.	: 27

समस्तीपुर, दरभंगा, लहेरियासराय, रक्सौल, बेतिया, जयनगर, मोतिहारी, सुपौल, दौरम मधेपुरा, सीतामढ़ी, नरकटियागंज, मधुबनी, झंझारपुर, निर्मली, घोड़ासहन, बाजपट्टी, सिमरी बख्तियारपुर, चकिया, रूसेरा घाट, शिवहर और डुमरा कोर्ट स्टेशनों पर पी.आर.एस. सुविधा उपलब्ध है।

डीजल शेड

वर्तमान में समस्तीपुर डीजल शेड के पास 49 बी.जी. डीजल इंजन हैं। इनमें हाल WDM2A - 29, WDM3A-2, WDMD-5, WDG3A-13, इंजन शामिल है। इसे 100 इंजनों की धारण क्षमता तक विस्तृत करने की योजना है। यहाँ नरकटियागंज सैटेलाइट शेड भी है जो 34 एम.जी. इंजनों का अनुरक्षण कर रहा है।

सोनपुर मंडल

सोनपुर- 841101

बिहार

सेवित क्षेत्र

बिहार का छपरा (सारण), वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण :

गैर विद्युतीकृत			विद्युतीकृत	
गेज	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
ब्राड गेज	473.874	921.792	6.26	60.34

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन : 06

ब्लॉक स्टेशन : 54

हॉल्ट स्टेशन : 15

फ्लैग स्टेशन : 05

पी.आर.एस. : 18

मंडल से आरंभ होने वाले मेल/एक्सप्रेस : 22 जोड़ी

सेवित उद्योग :

मुजफ्फरपुर के निकट कांटी थर्मल पावर स्टेशन, बरौनी के निकट बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी, बरौनी, मुजफ्फरपुर स्थित भारत वैगन इंजीनियरी लिमिटेड।

गुड्स शेड :

सोनपुर, सराय, नारायणपुर अनंत, बरौनी, खगड़िया, कपूर्नी ग्राम, बेगूसराय, नवगछिया।

यात्री सुविधाओं एवं परिचालन से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

- पूर्व मध्य रेल पर 120 कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र हैं।
- पूर्व मध्य रेल पर 66 स्टेशनों पर यू.टी.एस. उपलब्ध हैं।
- पूर्व मध्य रेल पर प्रतिदिन 250 माल गाड़ियाँ चलती हैं।
- पूर्व मध्य रेल में माल लदान भारतीय रेल के कुल माल लदान का 9 प्रतिशत है।
- पूर्व मध्य रेल पर कोयले का लदान भारतीय रेल पर कोयले के लदान का 19 प्रतिशत है।

यात्री भीड़-भाड़ का निपटान

अतिरिक्त कोच

पूर्व मध्य रेल में विभिन्न श्रेणियों में 5290 अतिरिक्त कोच लगाये गये।

अतिरिक्त सीटें/बर्थ

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़-भाड़ का निपटान करने हेतू 380880 अतिरिक्त सीटें/बर्थ की व्यवस्था की गई।

विशेष रेलगाड़ियाँ

पूर्व मध्य रेल द्वारा ग्रीष्मकाल एवं त्यौहारों के अवसर पर विशेष रेलगाड़ियों के 93 फेरे चलाये गये।

सवारी गाड़ी के परिचालन की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं

1.	नई गाड़ियों का आरंभ	22 जोड़ी
2.	गाड़ी सेवाओं का विस्तार	04 जोड़ी
3.	गाड़ियों के फेरों में वृद्धि	04 जोड़ी
4.	विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों का ठहराव	62
5.	नये हाल्ट	66

यात्री विवरण

प्रतिदिन यात्रियों की औसत संख्या	5.62 लाख
उपनगरीय	शून्य
गैर-उपनगरीय	5.62 लाख
यात्रियों की कुल संख्या	20.50 करोड़
उपनगरीय	शून्य
गैर-उपनगरीय	20.50 करोड़

यात्री आय

अन्तर (रु. करोड़ में)

2004-05	770.49	
2005-06	846.96	+76.47(9.92%)
2006-07	927.72	+80.76(9.54%)

माल-भाड़ा आय

अन्तर (रु. करोड़ में)

2004-05	3275.30	
2005-06	3484.03	+208.73(6.37%)
2006-07	3509.08	+25.05(0.72%)

सकल आय

अन्तर (रु. करोड़ में)

2004-05	4072.64	
2005-06	4367.50	+294.86(7.24%)
2006-07	4481.67	+114.17(2.61%)

यात्री वृद्धि

(आंकड़े करोड़ में)

शीर्ष	वार्षिक		
	2004-05	2005-06	2006-07
यात्रियों की कुल संख्या	16.10	18.67	20.50
गत वर्ष से अन्तर(%में)		+15.96%	+9.80%

यात्री सुविधाओं पर किया गया व्यय

वर्ष	व्यय
2003-04	14.75 करोड़
2004-05	19.16 करोड़
2005-06	23.92 करोड़
2006-07	21.34 (फरवरी 2007 तक)

माल-भाड़ा लदान

(मिलियन टन में)

शीर्ष	2004-05	2005-06	2006-07
कोयला	53.63	56.88	59.18
अन्य सामग्री	4.62	5.03	6.06
कुल	58.25	61.91	65.24
गत वर्ष से हुई वृद्धि		+3.66 (6.28%)	+3.33 (5.38%)

सफाई

यह पूर्व मध्य रेल का उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर अपर महाप्रबंधक एवं मंडल स्तर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा की जाती है।

- दिनांक 02.01.06 से 04.01.06, 17.01.06 से 19.01.06, 24.01.06 से 28.01.06, 03.02.06 से 04.02.06 तक विशेष सफाई अभियान चलाया गया।
- अनेक स्टेशनों पर “भुगतान करें एवं शौचालयों का उपयोग करें” आरंभ किया गया तथा ऐसी सुविधा और अधिक स्थान पर उपलब्ध करायी जाने वाली है।
- रेलवे ट्रेको विशेषकर प्लेटफार्म एरिया में कचरा निपटान एवं सफाई की स्थिति में सुधार किया जाता है।
- कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बल प्रदान करने एवं इस अभियान को सफल बनाने के लिए रेल उपयोगकर्ताओं से और सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है।

एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली (कॉल सेन्टर)

- निम्न सूचनाएं उपलब्ध हैं:-
 - (क) आरक्षित स्थान की उपलब्धता
 - (ख) वर्तमान आरक्षण स्थिति
 - (ग) गाड़ी आगमन/प्रस्थान
 - (घ) अन्य सूचनाएं -
- 139 डायल करने पर पूर्व मध्य रेल उपर्युक्त सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं।
- सूचना प्रदान करने हेतु कॉल सेन्टर की क्षमता 240 लाइनें कर दी गई हैं।
- हमारे कॉल सेन्टर से प्रतिदिन औसतन 21110 व्यक्ति गाड़ियों से संबंधित सूचना प्राप्त करते हैं।

न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था

पूर्व मध्य रेल में स्थित 622 स्टेशनों में न्यूनतम बुनियादी सुविधा उपलब्ध है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

- “ए” श्रेणी के सभी 23 स्टेशन पर उपलब्ध हैं।
- “बी” श्रेणी के 17 स्टेशनों में से 09 स्टेशनों पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। शेष 08 स्टेशनों पर उपलब्ध कराये जाने का कार्य प्रगति पर है।

24-कोच की लम्बाई वाले प्लेटफार्म

- लम्बी गाड़ियों को चलाने के लिए कुल 67 स्टेशनों को विस्तारित करने के लिए चिन्हित किया गया है।
- 26 स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध करा दिया गया है 41 अन्य स्टेशनों पर कार्य चल रहा है।

पूर्व मध्य रेल
क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति
की प्रस्तावित उप-विधि

1.0 प्रस्तावना :

1.1 रेल उपयोगकर्ता का बेहतर एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने, पूर्व मध्य रेल प्रशासन और उपयोगकर्ताओं के बीच इस रेल द्वारा प्रदत्त सेवा से सम्बन्धित मामलों पर परामर्श के अधिक अवसर उपलब्ध कराने एवं सेवा की दक्षता में सुधार हेतु पूर्व मध्य रेल के प्रधान कार्यालय, हाजीपुर में क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति बनाई गई है, (जिसे अब से जेड.आर.यू.सी.सी. कहा जाएगा)। साथ ही दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर के मण्डल मुख्यालयों में पांच डी.आर.यू.सी.सी. भी गठित की गई हैं।

1.2 क्षे.रे.उ.प.स. का उद्देश्य :

जेड.आर.यू.सी.सी. के गठन का उद्देश्य स्टेशनों और गाड़ियों दोनों पर यात्री-सुविधाओं को रेलवे उपयोगकर्ताओं के लिए यथासंभव लाभदायक बनाने के लिए सदस्यों के परामर्श से जनमत प्राप्त करने का प्रावधान करना और इस प्रकार रेलवे प्रशासन को जनमत और आवश्यकता के अनुरूप पूर्णतः सही एवं शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना है ताकि रेलवे के पास उपलब्ध संसाधनों का सही दिशा में अधिकतम उपयोग हो सके और बिना अतिरिक्त खर्च के अधिक वांछित काम पूरा किया जा सके।

2.0 समिति का गठन

2.1 जेड.आर.यू.सी.सी. में इस रेलवे द्वारा सेवित राज्य क्षेत्र में सामान्य रेलवे उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधित्व हेतु माननीय रेल मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे जिसे नीचे दर्शाया गया है :-

2.1.1 (क) केवल 10 संसद सदस्य (07 लोक सभा और 03 राज्य सभा) नामित किए जाएंगे।

2.1.1 (ख) जेड.आर.यू.सी.सी. में प्रत्येक केन्द्रिय मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र जो पूर्व मध्य रेल सेवित क्षेत्र में स्थित हो प्रतिनिधित्व हेतु उनके द्वारा नामित व्यक्ति।

2.1.2 इस रेलवे द्वारा सेवित राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित प्रत्येक विधान मंडल का एक सदस्य।

2.1.3 इस रेलवे द्वारा सेवित प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जैसा कि उस सरकार द्वारा अनुशंसित हो।

2.1.4 प्रमुख चेम्बर आफ कामर्स के अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधि तथा/या जिस व्यापार संघ का स्थायित्व पांच साल से कम न हो।

2.1.5 राज्य सरकार अथवा सरकारी कृषि संगठन एवं अन्य निकायों के दो से अधिक प्रतिनिधि नहीं, जो उपर्युक्त 2.1.4 में उल्लिखित चेम्बर आफ कामर्स से संबद्ध या शामिल नहीं हैं।

2.1.6 रेलवे के क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक एक या दो पंजिकृत यात्री संगठनों का एक प्रतिनिधि।

- 2.1.7 “विशेष हित” (स्पेशल इन्टरेस्ट) के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए रेलवे के महाप्रबंधक की सिफारिश पर नामित एक सदस्य।
- 2.1.8 माननीय रेल मंत्री द्वारा “विशेष हित” (स्पेशल इन्टरेस्ट) के रूप में नामित आठ सदस्य।
- 2.1.9 रेलवे के क्षेत्र में कार्यरत उपयोगकर्ता संरक्षण स्वैच्छिक संगठन (कंज्यूमर प्रोटेक्शन वालन्टरी आरगोनाइजेशन) का एक प्रतिनिधि।
- 2.1.10 इस रेलवे के प्रत्येक मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से चुने हुए एक गैर सरकारी प्रतिनिधि।
- 2.2 जिन व्यक्तियों के पास रेलवे से जुड़े मुनाफे का कार्यभार जैसे खानपान एवं बिक्री ठेकेदारों आउट एजेंसी ठेकेदारों, हैंडलिंग ठेकेदारों, इन्जीनियरिंग ठेकेदारों सहित ट्रेवलिंग एजेंसियों अथवा वे, जो मालगोदाम पार्सल कार्यालयों आदि के साथ दिन-प्रतिदिन के काम में घनिष्ठ और सीधे जुड़े हैं, जैसे फारवर्डिंग एजेंटों आदि क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति एवं राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्य है।
 - 2.2.1 यदि किसी सदस्य को विशेष हित की कोटि के अन्तर्गत मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति और क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति दोनों के लिए नामित किया जाता है तो उस व्यक्ति की सदस्यता केवल एक ही समिति अर्थात् मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में ही मान्य होगी तथा क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से उनका नामांकन रद्द कर दिया जाना चाहिए।
- 2.3 पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित राज्य होंगे:- 1. बिहार 2. उत्तर प्रदेश 3. झारखंड और 4. मध्य प्रदेश
- 2.4 महाप्रबंधक समिति के अध्यक्ष होंगे तथा उप महाप्रबंधक (सा), पूर्व मध्य रेलवे, समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- 2.5 उद्योग, वाणिज्य और व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य महत्वपूर्ण स्थानीय चैम्बरों या प्रमुख व्यापार हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों से सामान्यतया लिए जाते हैं जिसे संबंधित राज्य सरकारों का अनुमोदन प्राप्त होता है। चैम्बरों तथा/या संघों और अन्य के प्रतिनिधित्व के संबंध में माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् उक्त संगठनों को उनका/उनके प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के नाम नामित करने की सलाह दी जाएगी। यह उक्त चैम्बरों / संघ के विवेक पर है कि प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा हो या किसी अन्य तरीके से।
- 2.6 क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाएगा जो इसके गठन की तिथि से दो वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.7 सदस्यों का वर्गीकरण

2.7.1 सरकारी सदस्य, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, तथा अर्द्ध सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि "सरकारी सदस्यों" की कोटि में आएंगे।

2.7.2 गैर सरकारी सदस्य: उपर्युक्त पैरा 2.7.1 में दिये गए सदस्यों के अलावा बाकी सभी सदस्यों को सभी प्रयोजनों के लिए गैर सरकारी सदस्य समझा जाता है।

3.0 कार्य संबंधी शर्तें:

3.1 प्रधान कार्यालय स्थित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति इस रेलवे द्वारा सेवित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य रेल उपयोगकर्ता का प्रतिनिधित्व करेगी और निम्न से संबंधित मामलों पर विचार कर सकती है:-

3.1.1 रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में यात्री या मालभाड़ा से संबंधित सुविधाओं का प्रावधान।

3.1.2 समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नए स्टेशनों के खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव।

3.1.3 समय सारणी संबंधी व्यवस्थाएं।

3.1.4 रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सुधार।

3.1.5 सामान्य लोक हित या सार्वजनिक सुविधा या सुविधाओं से जुड़े ऐसे मामले जो उपयोगकर्ता के प्रतिवेदन का विषय रहा हो, से संबंधित कोई विषय।

3.2 मंडल समितियों के रिपोर्टों से उत्पन्न मामले या ऐसे अन्य मामले जो उपर्युक्त मद (3.1.1 से 3.1.5) में उल्लिखित विषयों से संबंधित हैं, जो विशेष रूप से मंडल समितियों द्वारा विचारार्थ अग्रसारित किए जाते हैं।

3.2.1 प्रशासन रेल मंत्रालय अथवा राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (एन. आर. यू. सी. सी.) की रिपोर्ट और विचारार्थ भेजे गए मामले।

3.2.2 रेलवे दरों (भारिक शुल्क को छोड़कर) और किराए से संबंधित मामले एवं कर्मचारी से संबंधित मामले, अनुशासनात्मक कार्यवाही और नियुक्ति आदि से संबंधित प्रश्न समिति के समक्ष विचारार्थ नहीं लाए जाएंगे।

3.3 इन नियमों के तहत गठित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की प्रकृति पूर्णतः परामर्शदात्री ही होगी।

4.0 समिति की बैठक :

4.1 एक वर्ष में तीन बैठकें आयोजित की जाएंगी।

4.2 किसी विषय में सूचना जिसे कोई सदस्य विचार के लिए करना चाहते हो, वे बैठक के निर्धारित तिथि के न्यूनतम 45 (पैंतालिस) दिन पहले समिति के सचिव के पास अवश्य भेज दें। फिर भी, अत्यावश्यक विषयों पर अध्यक्ष की अनुमति/सहमति से वचार-विमर्श किया जा सकता है।

4.3 समिति की बैठक आयोजित करने के लिए कोई निर्धारित कोरम नहीं है ।

5.0 चुनाव :

5.1 प्रत्येक अवधि के लिए रा.रे.उ.प.स. (एन.आर.यू.सी.सी.) में प्रतिनिधि भेजने के लिए गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होगा । समिति पूर्णरूपेण गठित होने के बाद ही इस प्रकार का चुनाव होना चाहिए ।

5.1.1 रा.रे.उ.प.स. के चुनाव तभी होंगे जब प्रत्येक मं.रे.उ.प.स.से चुनाव द्वारा अपना एक-एक प्रतिनिधि क्षे.रे.उ.प.स. में भेज दिया गया हो ।

5.2 पैरा 2.7.2 में वर्गीकृत गैर-सरकारी सदस्य ही रा.रे.उ.प.स. एवं उप रे.उ.प.स. में प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षे.रे.उ.प.स. के चुनाव में खड़ा होंगे ।

5.2.1 केवल गैर-सरकारी सदस्य ही उपर्युक्त उद्देश्य के लिए मतदान के योग्य होंगे ।

5.2.2 अन्य सदस्यों द्वारा विधिवत् प्रस्तावित एवं अनुशंसित इच्छुक सदस्य द्वारा ही रा.रे.उ.प.स. के लिए चुने जाने हेतु नामांकन पत्र भरे जायेंगे ।

5.2.3 कोई भी सदस्य, जो स्वयं चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हो, इसी उद्देश्य के लिए किसी एक दूसरे सदस्य का प्रस्ताव/अनुशंसा कर सकता है ।

5.2.4 प्रक्रिया संबंधी हुई त्रुटि जैसा कि पैरा 5.2.2 एवं 5.2.3 में उल्लिखित है, यदि नामांकन पत्र जाँच करते समय पता चलता है तो नामांकन रद्द माना जायेगा ।

5.3.1 माननीय संसद सदस्य, विभिन्न राज्यों के माननीय विधान सभा सदस्य जो किसी रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति यथा क्षे.र.उ.प.रा. एवं एन.आर.यू.सी.सी. में चुने जाने के हकदार नहीं होंगे, जिसमें उनके सीधे नामांकन के लिए पहले से ही प्रावधान है ।

5.4 इस उद्देश्य के लिए चुनाव संपन्न कराने हेतु अध्यक्ष, पहले ही पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगा । यदि आवश्यक हुआ तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए किसी एक अधिकारी को भी नियुक्त करेगा ।

5.4.1 मतदान का परिणाम अनिर्णीत रहने पर समिति के अध्यक्ष चुनाव को निर्णायक बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं ।

6.0 परिचय पत्र :

- 6.1 परिचय पत्र जारी करने के लिए सभी सदस्यों द्वारा दो स्टाम्प साइज फोटोग्राफ जमा किया जाना चाहिए ।
- 6.1.1 सदस्यों को जारी किया गया परिचय पत्र निःशुल्क रेलवे पास के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए ।
- 6.2 परिचय पत्र के खो जाने पर क्षेत्र.रे.उ.प.स. के सदस्यों द्वारा प्राथमिक सूचना रपट (एफ.आई.आर.) की एक प्रति के साथ इस संबंध में आवेदन दिया जाना चाहिए । रेलवे उन्हें एक नया परिचय पत्र जारी करेगी जिस पर डूपलीकट अंकित होगा ।
- 6.3 सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाने पर सदस्यों को अपना परिचय पत्र निर्गमण प्राधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए । यदि कार्य अवधि के पहले ही समिति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भंग कर दी जाती है तो भी सदस्यों को अपने परिचय पत्र निर्गमण प्राधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए ।
- 7.0 परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) :
- 7.1 जब कभी भी रेलवे द्वारा परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) का आयोजन किया जायेगा केवल गैर-सरकारी सदस्य ही उसमें भाग लेने के योग्य हैं ।
- 7.2 अत्यावश्यक समझे जाने पर विश्रामगृह/विश्रामागार की व्यवस्था परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) के समय निःशुल्क की जाएगी ।
- 7.3 यदि पर्याप्त संख्या में सदस्य यात्रा में सहभागी बनने के लिए अपनी पूर्व सहमति दे देने के बाद नहीं आते हैं तो सदस्यों की उपस्थिति के आकार को देखते हुए यात्रा की तिथि के दिन यात्रा को रद्द कर देने का अधिकारी रेलवे प्रशासन के पास सुरक्षित है ताकि व्यर्थ व्यय से बचा जा सके । स्थगन के निर्णय पर विचार-विमर्श अगली बैठक में की जानी चाहिए ।
- 8.0 बैठक के समय सदस्यों के लिए सामान्य सुविधाएँ :
- 8.1 बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाए गए दूरवर्ती सदस्यों के लिए सिर्फ तीन दिनों के लिए ही (बैठक के पहले दिन, बैठक का दिन तथा बैठक के बाद का दिन) बैठक-स्थल के निकटतम स्टेशन पर रेलवे रिटायरिंग स्लॉ/विश्रामगृहों में निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी तथा रहने की व्यवस्था में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी स्वीकार नहीं की जायेगी, तथा रेल प्रशासन द्वारा जगह की अनुपलब्धता की स्थिति में उपयुक्त/उपलब्ध होटलों में की जायेगी।

- 8.2 बैठक में उपस्थित होने के लिये आये सदस्यगण, विश्रामगृह/रिटायरिंग कक्षों/होटलों में ठहरने के दौरान खान-पान सेवाओं का लाभ केवल स्वयं भुगतान करके ही उठा सकते हैं ।
- 8.3 सदस्यों के लिए ठहरने के स्थान से बैठक-स्थल तक आने एवं जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है ।
- 9.0 यातायात सुविधाएँ :
- 9.1 गैर-सरकारी सदस्यों के लिए :
- 9.1.1 बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाए जाने पर गैर-सरकारी सदस्यों को अपने गृह-स्थान (होम स्टेशन) से सिर्फ बैठक-स्थल तक पहुँचने तथा वापसी की यात्रा के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/II वातानुकूलित दर्जे (राजधानी और शताब्दी गाड़ियों को छोड़कर) के पास जारी किये जाएँगे ।
- 9.1.2 प्रथम श्रेणी/ II वातानुकूलित श्रेणी के लिए जारी इस तरह के पास पर एक परिचारक को द्वितीय श्रेणी/शयनयान में ले जाने की सुविधा होगी ।
- 9.1.3 यदि कोई सदस्य प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करना चाहें तो उन्हें जैसा देय होगा, भाड़े का अन्तर देना होगा (राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के किसी श्रेणी को छोड़कर) ।
- 9.1.4 पहले से विद्यमान पास-नियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार मार्गस्थ यात्रा भंग करने की अनुमति है । इस उद्देश्य के लिए कोई भी अतिरिक्त यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा ।
- 9.1.5 उन स्थानों के लिए जो रेल-हेड से जुड़े हों, विमान यात्रा अनुमेष नहीं है । उन स्थानों के लिए जो रेल-हेड से जुड़े न हों, सदस्य के निवास से निकटतम हवाई अड्डे से निकटतम रेल-हेड तक विमान यात्रा की अनुमति दी जा सकती है । फिर भी, यदि निकटतम हवाई अड्डे से निकटतम रेल-हेड तक का हवाई किराया और निकटतम रेल-हेड से बैठक स्थल के बीच के रेल किराए (2 वाता.) का कुल योग निवास स्थान के निकटतम हवाई अड्डे से बैठक स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक के कुल हवाई किराये से अधिक हो, तो सदस्य के निवास के निकटतम हवाई अड्डे से बैठक स्थल तक हवाई किराये की अनुमति दी जा सकती है ।
- 9.1.6 यदि कोई सदस्य वैसे स्थान पर रह रहे हों जो रेल-हेड से नहीं जुड़ा हो और निकटतम रेल-हेड तक समुद्री मार्ग के साथ ही साथ हवाई मार्ग से भी पहुँचा जा

सकता हो, तब सदस्य को परिवहन के वैसे साधन से यात्रा करने की अनुमति होगी जिसका किराया कम हो ।

9.1.7 रेलवे स्थापना (इस्टेब्लिशमेंट) के निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को कोई अतिरिक्त पास नहीं जारी किया जाएगा ।

9.2 सरकारी सदस्यों के लिए :

9.2.1 सिर्फ बैठक-स्थल तक पहुँचने तथा वापसी हेतु राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्योगों के प्रधान कार्यालयों से सरकारी सदस्यों के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/द्वितीय कतानुकूलित श्रेणी के पास जारी किए जा सकते हैं ।

9.3 राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए :

9.3.1 अपने गृह स्थान (होम स्टेशन) से बैठक स्थल तक यात्रा करने हेतु विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/द्वितीय कतानुकूलित श्रेणी के लिए पास जारी किए जा सकते हैं ।

9.4 संसद सदस्यों के लिए :

9.4.1 एक संसद सदस्य/सदस्या अपने लिए जारी पहचान कार्ड-सह रेलवे पास का उपयोग कर साधारणतः रेल द्वारा ही यात्रा करेंगे/करेंगी । वे अपनी मर्जी से विमान द्वारा भी यात्रा कर सकते/सकती हैं । फिर भी, सामान्य रूप से विमान यात्रा का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए तथा इस तरह की यात्रा करने के लिए कारकों यथा-कार्य की अत्यावश्यकता यात्रा की जाने वाली दूरी, अपने कार्य-निष्पादन के लिए समय इत्यादि का ध्यान सदस्य/सदस्या को रखनी चाहिए तथा जहाँ विमानों में दो श्रेणियों यथा-प्रथम एवं मितव्ययी (पर्यटक) श्रेणी, उपलब्ध हैं, एक संसद सदस्य/सदस्या प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते/सकती हैं ।

9.4.2 संसद सदस्य/सदस्या के लिए सामान्यतः कोई पास जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें पहचान कार्ड-सह-रेलवे पास दिया गया है फिर भी उनकी ओर से समिति या उसकी उप समिति में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी मानार्थ पास जारी करने के विशेष अनुरोध पर ऐसा किया जा सकता है, यदि पहचान कार्ड-सह-रेलवे पास खो जाने की सूचना दी गई हो ।

9.4.3 जहाँ कोई सदस्य संसद के सदन के सत्र अथवा किसी समिति की बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से अथवा सदस्य के रूप में अपने ड्यूटी से संबंध किसी अन्य कार्य करने के उद्देश्य से अपने सामान्य निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से अथवा ऐसे स्थान तक वापसी यात्रा करता है, तो वह की गई वास्तविक यात्रा अथवा अपने सामान्य

निवास स्थान से या तक यात्रा, जो भी कम हो, के लिए यात्रा भत्ता आहरित कर सकता है ।

9.5 परिचर की परिभाषा :

9.5.1 'परिचर' शब्द की परिभाषा यह है कि एक व्यक्ति जो पास धारक की व्यक्तिगत सेवा में वेतन पर नियोजित किया गया हो । इसमें पूरे समय वाले घरेलू कर्मचारी शामिल हैं यथा - ब्रेयरा, खनसामों(बटलर), रसोइया, आया इत्यादि । लेकिन इसमें शिक्षक, दर्जी, धोबी इत्यादि या पास धारक का कोई संबंधी, जो नौकर की तरह कार्य कर रहा हो, शामिल नहीं है ।

9.6 सामान्य यात्रा सुविधाएँ :

9.6.1 समिति की बैठकों में भाग लेने या समिति के अन्य कार्य के लिए सदस्यों को 'अस्थायी' निवास के निकटतम रेलवे स्टेशन से पास जारी करने हेतु उनके अनुरोध को गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जा सकता है तथा महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन से पास जारी की जा सकती है, बशर्ते कि अस्थायी निवास स्थल तथा बैठक स्थल के नीचे की दूरी स्थायी निवास स्थल तथा बैठक स्थल के बीच की दूरी से कम हो ।

9.6.2 निवास स्थान के अतिरिक्त भी किसी स्टेशन तक वापसी यात्रा के लिए पास जारी की जा सकती है, बशर्ते कि बहिर्यात्रा के लिए जारी पास के स्टेशन की दूरी से वह दूरी (वापसी यात्रा की) कम हो ।

10.0 यात्रा एवं दैनिक भत्ते :

10.1 गैर-सरकारी सदस्यगण :

10.1.1 सदस्य के निवास स्थल के निकटतम रेलवे स्टेशन तथा बैठक स्थल के बीच तथा उसके विपरीत कम में यात्रा करने में लगे कोई भी कैलेण्डर दिन या एक से अधिक दिन के लिए पाकेट खर्च में से बैठक की अवधि के दौरान प्रतिदिन ₹0 120/- की दर से दैनिक भत्ता तथा ₹0 50/- प्रतिदिन के हिसाब से यात्रा भत्ता दिया जाएगा । पाकेट भत्ता में से ₹0 50/- उस दिन या उन दिनों के लिए नहीं दिया जाएगा जिस दिन के लिए ₹0 120/- के रूप में दैनिक भत्ता देय है ।

10.1.2 यदि निकटतम रेलवे स्टेशन से निवास स्थान की दूरी 8 किमी. से अधिक है, तो प्रति किमी. 4/- (चार रुपये) अधिकतम के हिसाब से निवास स्थान तथा रेलवे स्टेशन के बीच की यात्रा के लिए वास्तविक पाकेट खर्च के रूप में दिया जायेगा ।

10.1.3 शहर जिसमें बैठक हो रही है, के किसी कोने में रहने वाले क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के स्थानीय गैर-सरकारी सदस्य " ए " एवं " बी " श्रेणी के शहर

के लिए वास्तविक वाहन किराया प्रभार अथवा 100/- रु. प्रतिदिन जो भी कम हो, एवं अन्य "सी" श्रेणी के शहरों के लिए वास्तविक वाहन प्रभार अथवा 75/- रु. प्रतिदिन जो भी कम हो, भुगतान के पात्र होंगे। तथापि, उन्हें कोई दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

10.2 सरकारी सदस्य :

10.2.1 समिति के सरकारी सदस्य जैसा 10.1.1 एवं 10.1.2 में वर्णित भत्तों के हकदार नहीं होंगे। इस सदस्यों को यात्रा भत्ता उनके अपने नियमों के अनुसार दिया जाएगा और उनके संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा वहन किया जायेगा।

10.3 विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों :

10.3.1 क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में नामित राज्य विधायिका के सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता (सुविधा भत्ता सहित) संबंधित राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियम के अंतर्गत दिया जाएगा और राज्य विधायिका माना जाएगा और राज्य विधायिका के सत्र के दौरान वे अपने संबंधित वेतन और भत्ता भुगतान तथा रिमुवल ऑफ डिस्कवालिफिकेशन अधिनियम के अंतर्गत निर्देशित होंगे। फिर भी इन सदस्यों को उनके निवास स्थान के निकटतम स्टेशन से बैठक स्थल पर आने एवं वापसी यात्रा हेतु प्रथम श्रेणी पास जारी किया जा सकता है। यदि विधायिका के सदस्य ऐसा अनुरोध करते हैं तो संबंधित उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक स्थल से उस शहर के स्टेशन तक जहाँ विधान सभा स्थित है, की वापसी यात्रा हेतु भी पास जारी किया जा सकता है। राज्य विधायिका के सदस्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता (सुविधा भत्ता सहित) की निक्कासी नहीं करेंगे, जो उन्हें राज्य विधायिका के सदस्य के अयोग्य बना सकता है।

10.3.2 किसी भी ऐसे दिन के लिए जिसके लिए सदस्य, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य के रूप में अपने दैनिक भत्ता के हकदार हैं, दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

10.3.2.1 बैठक के स्थान एवं उनके निवास स्थान के निकटस्थ रेलवे स्टेशन के बीच और उसी प्रकार दूसरी ओर से वापसी के तहत यात्रा में लगे दिनों की संख्या की गणना यात्रा भत्ता के रूप में की जाएगी तथा सदस्य द्वारा किये गये वास्तविक व्यय की प्राप्ति तक वापसी सीमित होगी। इस उद्देश्य के लिए सदस्य के दावे के साथ निम्नलिखित के संबंध में एक समुचित प्रमाण पत्र संलग्न होगा :

" प्रमाणित किया जाता है कि जे. रे. उ. प. स. के सदस्य के रूप में कर्तव्य निर्वाह में मेरे द्वारा किया गया वास्तविक व्यय जिसके लिए यात्रा भत्ता/परिवर्तन भत्ता का इस बिल में दावा किया गया है, वह दावा की गयी राशि से कम नहीं था। "

10.4 संसद सदस्य :

10.4.1 संसद सदस्य के पक्ष में निर्गत किया गया पहचान-पत्र-सह-रेलवे पास का उपयोग कर वे रेल द्वारा संचारणतया यात्रा करेंगे । वे अपने विवेकानुसार वायुयान द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं । यदि वायुयान द्वारा यात्रा किया जाता है, तो आउट ऑफ पाकेट खर्च स्वरूप ऐसी यात्रा हेतु वायुयान भाड़ा का एक एवं एक चौथाई के बराबर की राशि के लिए सदस्य हकदार होंगे ।

10.4.2 समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए संसद सदस्य रेल की अपेक्षा सड़क द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं । ऐसे मामले में संसद सदस्य 8.00 रु० प्रति कि.मी. की दर से रोड मील-भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं । यात्रा भत्ता की जगह जो उनको स्वीकार्य रहा है यदि वे रेल द्वारा यात्रा करते, बशर्ते कि सम्पूर्ण यात्रा के लिए ऐसे सदस्य द्वारा लिख गये यात्रा भत्ता की कुल राशि से उक्त राशि अधिक नहीं होगी जो उनके लिए स्वीकार्य रहा होगा, अगर वे रेल द्वारा यात्रा कर चुके होते ।

10.4.3 यदि संसद सदस्य रेल द्वारा यात्रा करते हैं तो बैठक का स्थान एवं निवास स्थान से आउट ऑफ पाकेट खर्च के स्तर में इकहरी द्वितीय श्रेणी भाड़ा और इकहरी यात्रा प्रथम श्रेणी भाड़ा के बराबर की राशि यात्रा भत्ता स्वरूप भुगतान किया जाना चाहिए बिना इस बात पर ध्यान दिए कि सदस्य ने किस श्रेणी में यात्रा की ।

10.4.4 बैठक की अवधि के दौरान रु 500/- प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता ।

10.4.5 बैठक के दिन/दिनों में इस दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, सदस्य बैठक को कार्यवाही के दो दिन पूर्व और बैठक समापन के दो दिन बाद हेतु दैनिक भत्ता के लिए हकदार होंगे, यदि वे इन दिनों में बैठक के स्थान पर वास्तव में ठहरते हैं ।

10.4.6 किसी भी ऐसे दिन के लिए दैनिक भत्ता का भुगतान देय नहीं है जिस दिन संसद सदस्य एक संसद सदस्य के स्तर में अपना दैनिक भत्ता पाने के हकदार हैं ।

10.4.6 (ए) यदि यात्रा हवाई मार्ग से की जाती है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए हवाई यात्रा भाड़े के 1-1/4 के बराबर धनराशि ।

10.4.6 (बी) यदि यात्रा या उसका कोई भाग रेल या हवाई मार्ग से नहीं की जा सकती हो ।

(I) जहाँ यात्रा या उसका कोई भाग स्टीमर से किया जाए तो स्टीमर में उच्चतम श्रेणी की ऐसी प्रत्येक यात्रा या उसके किसी भाग के लिए भाड़े के (आहार

रहित) 1-3/5 के बराबर की धनराशि अथवा, यदि नियमित स्टीमर सेवा विद्यमान न हो तो ऐसी यात्रा अथवा उसके किसी भाग के लिए ऐसी धनराशि जैसा कि संसद अधिनियम, 1945 के वेतन, भत्ते और पेंशन की धारा 9 के अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित हो ।

- (II) जहाँ यात्रा या उसका कोई भाग सड़क मार्ग से किया जाए तो ऐसी यात्रा या उसके किसी भाग के लिए 8 रु0 आठ रुपये मात्र) प्रति किलोमीटर की दर से रोड माइलज (सड़क मील भत्ता,
- (III) आगे पुनः यह कि जब कोई सदस्य दिल्ली में सड़क मार्ग से हवाई अड्डे से और हवाई अड्डे तक यात्रा करता है तो ऐसी प्रत्येक यात्रा के लिए उसे न्यूनतम रु120/- (एक सौ बीस रुपये मात्र) भुगतान किया जाएगा ।

10.4.7 आउट ऑफ पाकेट भत्ता (यथा बैठक स्थल एवं अपने निवास स्थान से निकटस्थ रेल स्टेशन एवं उसी प्रकार वापसी के बीच इकहरी प्रथम श्रेणी भाड़ा और इकहरी द्वितीय श्रेणी भाड़ा के सम्मिलित राशि) संसद सदस्य द्वारा की गयी वास्तविक खर्च की पूर्ति तक सीमित होगी । इस उद्देश्य हेतु संसद सदस्य के दावे में निम्नलिखित सन्तुचित प्रमाण पत्र संलग्न हंगा ।

" प्रमाणित किया जाता है कि क्षे. रे. उ. प. स. के सदस्य के रूप में कर्तव्य निर्वाह में मेरे द्वारा किया गया वास्तविक व्यय जिसके लिए यात्रा भत्ता/परिवर्तन भत्ता का इस बिल में दावा किया गया है, वह दावा की गयी राशि से कम नहीं था । "

संसद सदस्य का हस्ताक्षर

10.4.8 उपर्युक्त नियमों के तहत जहाँ वास्तविक खर्च की राशि उच्चतम देय राशि की अपेक्षा कम हो तो भत्ते की राशि को वास्तविक खर्च की राशि तक कम कर दी जाय जिसे पैरा 10.4.7 में उल्लेख के अनुसार प्रमाणित किया जा सकता है ।

10.4.9 संसद सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य इस समिति की बैठक आदि के संबंध में उनके द्वारा वास्तविक रूप में की गयी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता के पात्र हैं ।

10.4.9.1 संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद के सदन के सत्र में भाग लेने के उद्देश्य से अथवा किसी समिति की बैठक अथवा सदस्य के रूप में अपनी ड्यूटी से संबद्ध किसी अन्य कार्य को करने के लिए भारत में उनके द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिए उनके सामान्य निवास स्थान से उस स्थान तक, जहाँ सत्र अथवा बैठक आयोजित होनी है

अथवा अन्य कार्य सम्पादित किए जाने हैं और ऐसे स्थान से सामान्य निवास स्थान तक वापसी यात्रा के लिए भुगतान किया जाएगा ।

10.4.9.2 समिति की बैठक आदि के स्थान तक संसद/राज्य विधान मंडल की बैठक के स्थान से और वापसी यात्रा हेतु, यदि संसद/राज्य विधान मंडल के सत्र में भाग लेने के समय वहाँ से बैठक में जाने और वहाँ से वापसी यात्रा की जाए ।

11.0 अनुपालन के लिए मार्गदर्शन :

11.1 अधिसूचित गैर-सरकारी समितियों के सदस्यों के पदनाम जो उनके पत्र शीर्ष (लेटर हेड)/विजिटिंग कार्ड आदि पर मुद्रित हों वे पूरी तरह से उनके नामांकन पत्र के अनुसार होने चाहिए ।

11.2 उन्हें अपने पत्र शीर्ष (लेटर हेड) स्कैट्स, क्रैस्ट्स, बैजें, हाउस फ्लैग या अन्य उद्देश्य हेतु सरकारी अनुमति के बिना सरकारी प्रतीकों के उपयोग की अनुमति नहीं है ।

12.0 सदस्यता का निरस्तीकरण :

12.1 इस आशय की सूचना मिलने पर कि किसी सदस्य/सदस्यों के खिलाफ न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है या कोई सदस्य आपराधिक कार्यवाही में विधि न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों की सदस्यता सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करके निरस्त कर दी जाएगी ।

12.2 सदस्य/सदस्यों की ओर से की गई कोई कार्रवाई रेलवे के हित में नुकसान देय पायी जाने पर उनकी सदस्यता/सदस्यताएँ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जप्त कर ली जाएगी ।

13.0 माननीय संसद सदस्यों/विधायकों/विधान परिषद के सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति ।

13.1 वैसे माननीय सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य जो जेड० आर० यू० सी० सी० समिति के अवधि के पहले ही संसद सदस्य/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्य नहीं रह जाएंगे। उनकी सदस्यता समाप्त हो जायगी।

.....

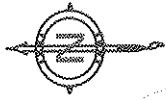
दिनांक 06.06.07 को आयोजित जेडआरयूसीसी की बैठक हेतु माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सुझावों पर बिन्दुवार जवाब

1.0	श्री निखिल कुमार चौधरी, माननीय सांसद	माननीय सदस्यों के सुझावों का जवाब
1.1	वैशाली एक्स. (2553 एवं 2554) बरौनी से दिल्ली के बीच चलती है इसका विस्तार कटिहार तक किया जाय। ये गाड़ी दिल्ली से चलकर बरौनी में 5.15 बजे शाम में पहुँचती है एवं दूसरे दिन सुबह 9.30 बजे बरौनी से दिल्ली के लिए चलती है। ये गाड़ी लगभग 15 घंटा बरौनी में खड़ी रह जाती है। 15 घंटा के अंदर उक्त गाड़ी कटिहार आसानी से आवागमन कर सकती है, एवं गाड़ी की सफाई हेतु कटिहार में पर्याप्त पिट लाईन की व्यवस्था भी है। उक्त गाड़ी का परिचालन कटिहार तक करने पर समय सारणी में किसी प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त गाड़ी का परिचालन कटिहार तक करना जनहित, यात्रीहित एवं राष्ट्रहित में होगा। अतः उक्त गाड़ी का परिचालन कटिहार तक किया जाय।	2553/2554 वैशाली एक्सप्रेस बरौनी और नई दिल्ली के बीच चलती है। 2553 बरौनी से सुबह के 09.30 बजे प्रस्थान करती है और दूसरे दिन सुबह के 06.15 बजे नई दिल्ली पहुँचती है। 2554 नई दिल्ली से शाम के 19.50 बजे प्रस्थान करके दूसरे दिन शाम को 17.15 बजे बरौनी पहुँचती है। बरौनी — कटिहार खण्ड सिंगल लाईन का खण्ड है, जिसकी लाईन कैपेसिटी मेन्टेन्स ब्लॉक के साथ 150% और बिना मेन्टेन्स ब्लॉक के 130% है। उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए इस गाड़ी का कटिहार तक परिचालन संभव होना प्रतीत नहीं हो रहा है।
1.2	महानंदा एक्सप्रेस (4083 अप) कटिहार से 3.45 बजे दिन में खुलती है एवं बरौनी में रात 8.40 बजे पहुँचती है। जबकि कटिहार से बरौनी की दूरी केवल मात्र 180 किलोमीटर है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को लगभग 5 घंटा लगता है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अगर उक्त गाड़ी को 1 घंटा पूर्व बरौनी पहुँचा दिया जाय तो यात्री को 2 गाड़ियों मिल सकती हैं। एक टाटा लिंक एक्सप्रेस 8182 जो बरौनी से रात 8.20 बजे खुलती है एवं दूसरी बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस 2503 जो रात 8.020 बजे खुलती है। मेरा सुझाव है, महानंदा एक्सप्रेस को उक्त दोनों के लिए कनेक्टिंग ट्रेन बनाया जाय।	4083 महानंदा एक्सप्रेस को 5203 बरौनी- लखनऊ एवं 8182 टाटा-छपरा एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ कनेक्शन देने के लिए इस गाड़ी को अलीपुरद्वार जंक्शन से 40 मिनट पहले यानि 06.50 बजे बजे चलाकर 20.00 बजे बरौनी लाना होगा। यह गाड़ी अलीपुरद्वार जंक्शन से 07.30 बजे चलती है। इसके लिए मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक/पूर्वी-सीमान्त रेलवे/मालीगाँव, गौहाटी एवं रेलवे बोर्ड से सहमति लेनी पड़ेगी। उनको इस बारे में लिखा जा रहा है।
1.3	सहरसा से चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस (2203 एवं 2204) जो सहरसा से अमृतसर के लिए चलती है। ये गाड़ी सुबह 7.30 बजे खगड़िया पहुँचती है। तथा कटिहार से बरौनी के बीच सुबह गाड़ी को गरीबरथ, एक्सप्रेस के लिए कनेक्टिंग गाड़ी बनाया जाय एवं गरीब रथ एक्सप्रेस के लिए कटिहार का आरक्षण सुनिश्चित किया जाय। इससे कटिहार, फारबिसगंज, पूर्णियाँ, बारसोई आदि क्षेत्र के यात्रियों के लिए अमृतसर जाने के लिए एक नई गाड़ी मिल जाएगी एवं यह रेल हित में ही होगा।	315 सवारी गाड़ी का खगड़िया में 2203 गरीब रथ के साथ कनेक्शन मिल रहा है। इसकी सुनिश्चितता हेतु कार्रवाई की जा रही है।
1.4	कटिहार पटना इन्टर एक्सप्रेस (5713 एवं 5714) को बरौनी न ले जाकर इसे बाईपास पटना ले जाया जाय।	5713/5714 कटिहार-पटना इंटरसिटी को बरौनी न ले जाकर बरौनी बाईपास ले जाने पर वहाँ जन-आन्दोलन की संभावनाएँ बढ़ जाएँगी।
1.5	टाटा लिंक एक्सप्रेस (8181 एवं 8182) का परिचालन पुनः कटिहार से किया जाय। झारखण्ड की ओर जाने के लिए इस क्षेत्र के यात्रियों के लिए एक मात्र गाड़ी टाटा लिंक एक्सप्रेस ही थी जिसे वापस कर लिया गया है। इसका परिचालन पूर्णतः कटिहार से किया जाए।	8181ए/8182ए टाटा लिंक एक्सप्रेस को परिचालनिक एवं वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के वजह से रद्द की गई है। इस गाड़ी का कुल टिकट सेल 30% से भी कम है। अतः इन्हीं वजह से पुनः परिचालन का औचित्य नहीं बन रहा है।
1.6	पूर्व मध्य रेल की ओर से गुजरने वाली गाड़ी जो कटिहार की ओर आती है। उन गाड़ियों को अनावश्यक रूप से सेमापुर में रोका जाता है। जबकि सेमापुर से कटिहार के बीच डबल लाइन की व्यवस्था है। इन त्रुटि को दूर करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय।	पूर्व मध्य रेल की ओर से कटिहार जाने वाली सभी गाड़ियों को अनावश्यक रूप से सेमापुर स्टेशन पर नहीं रोका जाय, इसके लिए सोनपुर मंडल एवं कटिहार मंडल को सख्त हिदायतें दी गई हैं।



पूर्व मध्य रेल का संक्षिप्त मानचित्र

NETWORK PLAN OF EAST CENTRAL RAILWAY



CORRECTED UP TO 01/01 APRIL 2006
SCALE : 1 CM = 100 KMS

RAILWAY ZONAL HEADQUARTERS

RAILWAY DIVISIONAL HEADQUARTERS

RAILWAY STATIONS AND JUNCTIONS

INTERNATIONAL BOUNDARY

DISTRICT BOUNDARIES

STATE BOUNDARIES

OTHER RAILWAYS

ELECTRIFIED LINE SINGLE, DOUBLE B.C.

UNDER CONSTRUCTION BROAD GAUGE SINGLE LINE

QUADRA CONVERSION FROM MG TO BG

BOUNDING IN PROGRESS

GEOTECH WORLD

INDIA'S LARGEST RAILWAY CONSULTANTS

Address: 10/10, B-Block, Phase - II, Gurgaon (Haryana) - 122001 (Ph. 9100999999)

